GOVERNEMNT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD
****

No. 2007/TG-1/20/P/Pt-II New Delhi, dated 13.03.2015

The Chief Commercial Managers
All Zonal Railways

The Managing Director, CRIS,
Chanakyapuri, New Delhi.

Commercial Circular No. 15 of 2015

Sub: Reservation facilities for Sr citizen and female passengers including pregnant women.

Ref: Commercial Circulars No. 6 of 2000, No. 40 of 2007 and No. 65 of 2008

While presenting the Railway Budget 2015-16, Hon'ble MR inter-alia made the following announcement:-

"........we propose to increase the quota of lower berths for senior citizens. TTEs would also be instructed to help senior citizens, pregnant women and differently-abled persons......the middle bay of coaches will be reserved for women and senior citizens for reason of safety."

2. The extant guidelines concerning the above issues are as under:-

2.1 Instructions were issued vide CC no. 40 of 2007 dated 18.04.2007 that in all trains having reserved accommodation, a combined quota of two lower berths per coach should be earmarked in Sleeper, AC-3 Tier and AC-2 Tier classes for following category of passengers when travelling alone:

a. Senior citizens;
b. Female passengers 45 years of age and above; and
c. Pregnant women.

2.2 Vide CC no. 65 of 2008 dated 16.12.2008 it was inter-alia advised that the six berth compartment being earmarked for female passengers in SL class of long distance mail express trains should be in the third bay of the coach.

2.3 With a view to facilitate senior citizens and physically handicapped persons travelling on concessional tickets, who have been allotted upper/ middle berth and approaches for allotment of vacant of lower berth(s), the onboard ticket checking staff have been authorised (vide CC no. 06 of 2000 dated 11.05.2000) to allot the same on first come first served basis after making necessary entry in the reservation chart.

3. In compliance of the announcement made in Railway Budget 2015-16, it is desired that:

(i) The existing combined quota of two lower berths per coach in Sleeper class as indicated in para 2.1 above may be enhanced to four lower berths per

coach. There will be however, no change in this quota being earmarked in 3A and 2A classes.

(ii) Instructions regarding assisting senior citizens and physically handicapped persons as contained in CC no. 06 of 2000 may be reiterated to all concerned and the scope of these instructions may be expanded by including pregnant women also in these instructions. Hence, onboard ticket checking staff are now authorised to allot vacant lower berths available in the train to senior citizens, physically handicapped persons and pregnant women (who have been allotted middle/upper berths), on approach, on first come first served basis after making necessary entry in the chart

(iii) All efforts should be made to ensure that the existing reservation quota of six berths for female passengers being earmarked in long distance mail/express trains should be in the middle of the coach and also to the extent feasible, the senior citizen quota should also be earmarked in the middle of the coach.

4. For instructions mentioned in para 3(i) & 3(iii), necessary modifications will be done by Zonal Railways by 31.03.2015 and these should be made effective from 01.04.2015 for trains opening for reservation as per Advance Reservation Period (ARP).

5. Necessary instructions may be issued to all concerned.

6. Wide publicity may be given through all possible means to make general public aware of these changes.

(Dr S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-226011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

****

सं. 2007/टीजी-1/20/पी/पार्ट-II — नई दिल्ली, दिनांक 13.03.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

प्रबंध निदेशक, क्रिस,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

<u>2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 15</u>

विषय: गर्भवती महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों के लिए आरक्षण सुविधाएं।

संदर्भ: 2000 का वाणिज्य परिपत्र सं. 6, 2007 का 40 और 2008 का 65.

रेल बजट 2015-16 प्रस्तुत करते समय, माननीय रेलमंत्री ने अन्य घोषणाओं के साथ-साथ निम्नलिखित घोषणाएं भी की थी:-

"....... हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचले बर्थ का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। चल टिकट परीक्षकों को भी वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को मदद करने के निर्देश दिए जाएंगे........सुरक्षा की दृष्टि से कोचों के बीच वाले बे को महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा।"

2. उपर्युक्त मामलों से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

2.1 दिनांक 18.04.2007 के 2007 के वाणिज्य परिपत्र सं. 40 के तहत अनुदेश जारी किए गए थे कि जब निम्नलिखित कोटि के यात्री अकेले यात्रा करें तो आरक्षित डिब्बे वाली सभी गाड़ियों में शयनयान, एसी-3 टीयर और एसी-2 टीयर श्रेणियों में प्रति कोच दो निचले बर्थों का संयुक्त कोटा निर्धारित किया जाए:

क. वरिष्ठ नागरिक;

ख. 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला यात्री; और

ग. गर्भवती महिलाएं।

2.2 दिनांक 16.12.2008 के 2008 के वाणिज्य परिपत्र सं. 65 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया था कि लम्बी दूरी की मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की शयनयान श्रेणी में महिला यात्रियों के लिए निर्धारित किया जाने वाला छः बर्थ वाला कम्पार्टमेंट कोच के तीसरे बे में होना चाहिए।

2.3 रियायती टिकटों पर यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जिन्हें ऊपर वाला/बीच वाला बर्थ आबंटित किया गया हो और यदि वे खाली पड़े

निचले बर्थ के आबंटन के लिए संपर्क करते हैं तो उन्हें सुविधा मुहैया कराने के लिए गाड़ी में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को आरक्षण चार्ट में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बर्थ आबंटित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (दिनांक 11.05.2000 का 2000 का वाणिज्य परिपत्र सं. 06)।

3. रेल बजट 2015-16 में की गई घोषणाओं का अनुपालन करने के लिए यह अपेक्षित है कि:

(i) उपर्युक्त पैरा 2.1 में यथा उल्लिखित शयनयान श्रेणी में प्रति कोच दो निचले बर्थों के मौजूदा संयुक्त कोटे को बढ़ाकर प्रति कोच चार निचले बर्थ किया जाए। बहरहाल, 3एसी और 2एसी श्रेणियों में निर्धारित किए जाने वाले इस कोटे में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) 2000 की वाणिज्यिक परिपत्र सं. 06 में यथा निहित वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने से संबंधित अनुदेश सभी संबंधितों को पुन: दोहराए जाएं और इन अनुदेशों में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल करके इन अनुदेशों का दायरा बढ़ाया जाए। अत:, संपर्क किए जाने पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चार्ट में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं (जिन्हें बीच/ऊपर वाले बर्थ आबंटित किए गए हैं) के लिए गाड़ी में उपलब्ध खाली पड़े निचले बर्थ आबंटित करने के लिए अब गाड़ियों में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में निर्धारित की जाने वाली महिला यात्रियों के लिए छ: बर्थों का मौजूदा आरक्षण कोटा कोच के बीच में होना चाहिए और इसके अलावा, जहां तक संभव हो वरिष्ठ नागरिक कोटा को भी कोच के बीच में निर्धारित किया जाना चाहिए।

4. पैरा 3(i) और 3(iii) में उल्लिखित अनुदेशों में, क्षेत्रीय रेलों द्वारा 31.03.2015 तक आवश्यक संशोधन किया जाएगा और ये अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) के अनुसार आरक्षण खुलने वाली गाडियों के लिए 01.04.2015 से प्रभावी होने चाहिए।

5. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

6. इन परिवर्तनों से आम जनता को अवगत कराने के लिए सभी संभव साधनों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2007/टीजी-1/20/पी/पार्ट-II नई दिल्ली, दिनांक 13.03.2015

प्रतिलिपि प्रेषित :

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, ईडीवी(टी), ईडीएफसी, डीएफ(सी), ओएसडी/टीसी, एफ(सी) एवं वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) प्रबंध निदेशक/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.